



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व 1,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गयी।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्करा में पंजीकृत मु0अ0सं0-750/10 धारा-25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय मा0 न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अजीत सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह नि0-मउनरवट थाना सजेती, कानपुर नगर को दोष सिद्ध करते हुए 01 वर्ष का कारावास व 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री सुभाष कुमार



विवेचक-
एस0एच0ओ0
विवेकानन्द तिवारी



पैरोकार- थाना मुस्करा
हे0का0 ज्ञानेन्द्र कुमार